भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबंधक सरोजनीनगर लखनऊ क्रम 2018367012201

आवेदन संख्या : 201801041018247

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	2018-11-16 00:00:00
प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम	प्रशान्त श्रीवास्तव
लेख का प्रकार	विक्रय पत्र
प्रतिफल की धनराशि	2360000 / 1205000
1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क	20000
2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क	60
3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क	
4 . मुख्तार के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क	
5 . कमीशन शुल्क	
6 . विविध	
7 . यात्रिक भत्ता	
1 से 6 तक का योग	20060
शुल्क वसूल करने का दिनांक	2018-11-16 00:00:00
दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा	2018-11-16 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

11344/18

STAR-196

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	IN-UP05292416824751Q
Certificate Issued Date	16-Nov-2018 11:50 AM
Account Reference	SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	SUBIN-UPUPSHCIL01063231299432500
Purchased by	ACORN DEVELOPERS PVT LTD
Description of Document	Article 23 Conveyance
Property Description	PART OF KHASRA NO. 198, VILLAGE-SARSAWA, LUCKNOW
Consideration Price (Rs.)	
First Party	THAKUR PRASAD AND SUMAN YADAV
Second Party	ACORN DEVELOPERS PVT LTD
Stamp Duty Paid By	ACORN DEVELOPERS PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	1,65,000 (One Lakh Sixty Five Thousand only)

Scanned by CamScanner

ACORN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

(Regd. Off.:- 306-308, Square One, C-2, District Centre, Saket, New Delhi-110017)

CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY IN ITS MEETING HELD ON NOVEMBER 14, 2018

"**RESOLVED THAT** the consent of Board of Directors of the Company be and is hereby accorded to purchase the land admeasuring 0.0172 hectare, Khasra No. 198, situated in Village Sarsawa, District Lucknow from Mr. Thakur Prasad and Ms. Suman Yadav.

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Prashant Srivastava S/o Late Mr. B.N. Prasad, be and is hereby authorized, for and on behalf of the Company, to purchase the aforesaid land in the name of Company and in the process sign and execute sale deed, and such other document(s), paper(s), undertaking(s), deed(s) or agreement(s), as may be required and to appear before the Sub-Registrar, Registrar or any other officer or authority, to get the aforesaid land registered in favour of the Company and to do all such acts as may deemed necessary in this regard.

RESOLVED FURTHER THAT this authority granted in favour of Authorized Person is valid for a period of 3 (Three) months from the date of this resolution."

CERTIFIED TO BE TRUE
For Acorn Developers Private Limited

Director

विक्रय मूल्य :– रू0 23,50,000/–
मालियत :– रू0 12,04,966/–
स्टाम्प :– रू0 1,65,000/–
परगना :– लखनऊ

(प्रारूप सं0–4, क्षेत्र–अर्द्धनगरीय, वी–कोड–1081)

–::लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण::–

1. भूमि का प्रकार	:–	कृषि/आवासीय
2. वार्ड/परगना	:–	लखनऊ
3. मोहल्ला/ग्राम	:–	सरसवाँ
4. सम्पत्ति का विवरण	:–	खसरा सं0–198
5. मापन की इकाई	:–	वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:–	172.13 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थित	:–	सेगमेन्ट रोड से 100 मीटर से अधिक दूर
8. अन्य विवरण	:–	कुछ नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार	:–	भूमि

चौहद्दी खसरा सं0–198

पूरब	:–खसरा सं0–426, 427 व 428/चकरोड
पश्चिम	:–खसरा सं0–199
उत्तर	:–खसरा सं0–201 व 202
दक्षिण	:–खसरा सं0–197

विक्रेतागण की सं0–2 क्रेता की सं0–1

–::विक्रय विलेख::–

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 16.11.2018 को **1. श्री ठाकुर प्रसाद पुत्र श्री राम आसरे 2. श्रीमती सुमन यादव पत्नी श्री ठाकुर प्रसाद यादव** निवासीगण–ग्राम–महिपाल खेड़ा, लखनऊ (जिन्हें आगे इस विक्रय पत्र में **"विक्रेतागण"** कहा गया हैं)

सुमन यादव

For
Authorised Signatory

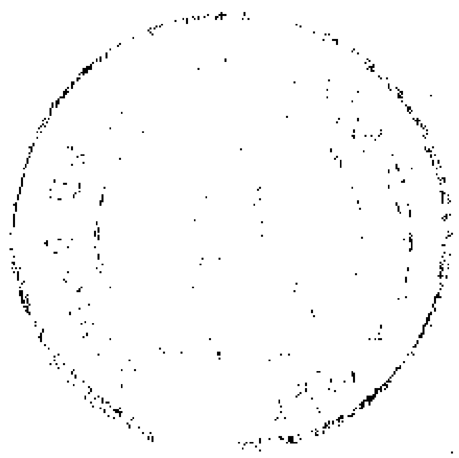

एकोर्न डेवलपर्स प्रा0 लि0 (ACORN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED) पंजीकृत कार्यालय– 306–308, स्क्वायर वन, सी–2, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, न्यू दिल्ली–110017 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी–श्री प्रशान्त श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री बी0एन0 प्रसाद (जिन्हें आगे इस विक्रय पत्र में "क्रेता" गया है) **Pan AAFCA8062N**

यह विक्रय विलेख विक्रेतागण एवं क्रेता के मध्य विक्रेता की संक्रमणीय भूमि खसरा सं0–198 सम्पूर्ण रकबा 0.2380 हे0 मे अपना सम्पूर्ण अंश 172.13 वर्गमीटर स्थित–सरसवाँ, परगना–लखनऊ, तहसील–सरोजनी नगर,, जिला–लखनऊ के सम्बन्ध में निष्पादित किया गया है (जिन्हें आगे "उक्त भूमि" कहा गया है) तथा जिसका सम्पूर्ण विवरण व सीमाएं का विक्रय विलेख के अन्त में वर्णित है।

भूमि का स्वामित्वः–

वर्तमान स्वामित्व–श्री ठाकुर प्रसाद पुत्र श्री राम आसरे भूमि खसरा संख्या 198 कुल रकबा 0.2380 हे0 मे से 86.66 वर्गमीटर + 1.18 वर्गमीटर अर्थात 87.84 वर्गमीटर के स्वामी हैं यह कि उक्त खसरा में रकबा 260 वर्गमीटर के स्वामी श्री गंगा प्रसाद, श्री ठाकुरप्रसाद व श्रीमती श्यामादेवी थे जिनमें से प्रत्येक का 1/3 अंश था तथा श्रीमती श्यामा देवी ने अपने अंश 86.66 वर्गमीटर मे से 84.29 वर्गमीटर भूमि श्रीमती सुमन यादव को विक्रय कर दी थी उक्त विक्रय के उपरान्त श्रीमती श्यामादेवी के पास 2.37 वर्गमीटर भूमि शेष रह गयी है तथा श्रीमती श्यामा देवी के मृत्यु के उपरान्त उनके हिस्से की शेष भूमि रकबा 2.37 वर्गमीटर के 1/2 भाग अर्थात 1.18 वर्गमीटर के स्वामी बतौर उत्तराधिकारी श्री ठाकुर प्रसाद हुये इस प्रकार उक्त भूमि में रकबा 87.84 वर्गमीटर के स्वामी श्री ठाकुर प्रसाद है तथा उक्त सम्पत्ति उनकी पुश्तैनी सम्पत्ति हैं तथा श्रीमती सुमन यादव पत्नी श्री ठाकुर प्रसाद यादव कुल रकबा 0.2380 हे0 मे से 84.29 वर्गमीटर मे से की स्वामिनी हैं जो कि श्रीमती सुमन यादव ने श्रीमती श्यामा देवी से बजरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 31.01.2019 बही संख्या 1, जिल्द संख्या 13591 पृष्ठ संख्या 83 से 106 पर क्रमांक 1423 पर अंकित है।

<u>भूमि का विवरणः–</u>

जो कि विक्रेतागण भूमि खसरा सं0–198 कुल रकबा 0.2380 हे0 मे अपना सम्पूर्ण अंश विक्रीत रकबा 172.13 वर्गमीटर स्थित–सरसवाँ, परगना–लखनऊ, तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ के संक्रमणीय भूमिधर खातेदार है जो विक्रेता के कब्जे व स्वामित्व व पूर्ण अधिकार में विघमान हैं। विक्रेता उक्त खसरा सं0–198 में अपने समस्त अधिकारों व हितो को इस विक्रय विलेख के माध्यम से हस्तानांततिर कर रहा है।

सुमन यादव

For Acorn Developers Pvt. Ltd.

Director / Authorised Signatory

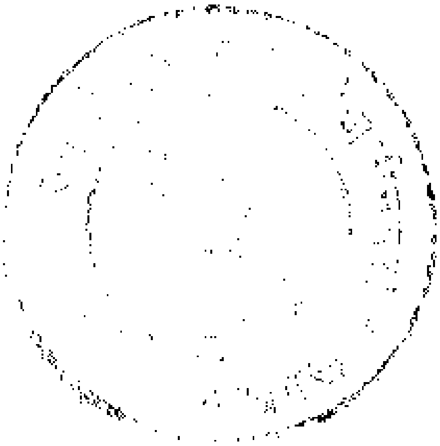

यह कि उपरोक्त भूमि विक्रेता की सम्पत्ति है।

विक्रय मूल्यः—

यह कि विक्रेता अपना भूमि खसरा सं0—198 कुल रकबा 0.2380 हे0 मे अपना सम्पूर्ण अंश विक्रीत रकबा 172.13 वर्गमीटर स्थित—सरसवाँ, परगना—लखनऊ, तहसील—सरोजनी नगर,, जिला—लखनऊ को विक्रय करना चाहते है जिसे क्रय करने के लिये क्रेता ने विक्रेता से सम्पर्क किया तथा दानो पक्षों के मध्य उक्त कृषि भूमि का **विक्रय मूल्य रू0 23,50,000/—** (रू0 तेईस लाख पचास हजार मात्र) निर्धारित हुआ है।

भूमि का अन्तरणः—

यह कि विक्रेता ने उक्त भूमि का विक्रय एवं अन्तरण क्रेता के पक्ष में **रू0—23,50,000/— (रू0 तेईस लाख पचास हजार मात्र)** कि जिसके आधे **रू0 11,75,000/— (रू0 ग्यारह लाख पचहत्तर हजार मात्र)** में अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विक्रय किया है तथा क्रेता ने भी उक्त प्रतिफल धनराशि पर उक्त भूमि का क्रय करने हेतु अपनी सहमति दी है।

यह कि विक्रेता ने क्रेता से प्रतिफल (विक्रय मूल्य) की उक्त धनराशि प्राप्त कर ली है जिसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत विक्रय पत्र में दर्शाया गया है तथा अब कुछ भी पाना शेष नहीं है।

विक्रेता द्वारा घोषणाः—

अतएव विक्रेत्ता, क्रेता के पक्ष में प्रस्तुत विक्रय विलेख का निष्पादन निम्नवत करते है:—

1. यह कि विक्रेता जन्म से भारतीय नागरिक है।

2. यह कि **विक्रेतागण** घोषणा करता है और वचन देता है कि उपरोक्त समस्त विक्रेतागण उक्त भूमि के पूर्ण रूपेण स्वामी हैं तथा उक्त भूमि समस्त प्रकार के प्रभारों, प्रतिबन्धों, विघ्नों, विक्रय, कुर्की, प्रतिभूतियों व दान इत्यादि से पूर्ण तथा मुक्त है व पाक साफ है तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय अथवा समक्ष अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा वाद इत्यादि लम्बित नहीं है तथा विक्रेतागण उक्त भूमि को क्रेता के पक्ष में विक्रय व हस्तान्तरित करने हेतु विधिक रूप से सक्षम हैं।

सुमन यादव

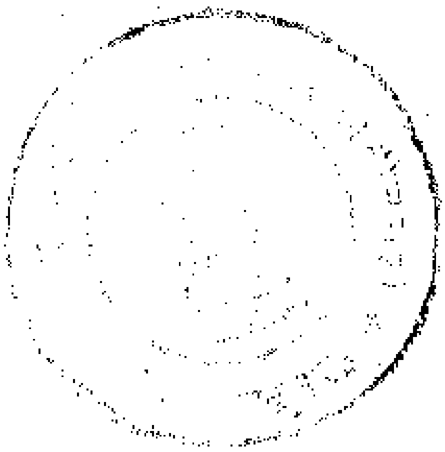

3. यह कि प्रतिफल की धनराशि क्रेता से प्राप्त करने के पश्चात विक्रेतागण उक्त भूमि को क्रेता के पक्ष में भूमि से सम्बन्धित समस्त अधिकारों, लाभों व सुखाधिकारों के साथ विक्रय व हस्तान्तरित करते है तथा क्रेता को उक्त भूमि के सम्बन्ध में आज विक्रय की तिथि से स्वामित्व सम्बन्धी सभी अधिकार हस्तान्तरित करता है।

4. यह कि यदि उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रस्तुत विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि तक के देय यदि कोई हों तो उनके भुगतान का दायित्व विक्रेतागण का होगा तथा प्रस्तुत विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के कर अथवा शुल्क का भुगतान क्रेता द्वारा किया जायेगा।

5. यह कि यदि कोई व्यक्ति, संस्था या विक्रेतागण के उत्तराधिकारी उक्त भूमि के सम्बन्ध में विक्रेतागण के माध्यम से अथवा स्वतंत्र रूप से किसी प्रकार का कोई दावा अथवा अधिकारी प्रस्तुत करता है तो ऐसा दावा अथवा अधिकार प्रस्तुत विक्रय पत्र के आधार पर विधि विरूद्ध व शून्य होगा। यदि विक्रेतागण के उक्त भूमि के सम्बन्ध में साम्पत्तिक अधिकारों में कोई त्रुटि अथवा दोष के आचार पर क्रेता उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग अथवा उससे सम्बन्धित किसी साम्पत्तिक अधिकार से वंचित हो जाता है तो विक्रेतागण, क्रेता को कारित हुई उक्त क्षति की सम्पूर्ण धनराशि मय हर्जा खर्चा की क्षतिपूर्ति अस्तित्व में पाई जाने वाली विक्रेतागण एवं उनके वारिसान की अन्य चल व अचल सम्पत्तियों से करने हेतु विधिक रूप से बाध्य होंगे और इसमें विक्रेतागण या उनके वारिसानों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

6. यह कि विक्रेतागण, क्रेता को वचन देते हे कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में क्रेता द्वारा भविष्य में भूमि की नपाई कराने में व नामान्तरण इत्यादि वांछित कार्यवाहियों में आवश्यकता पड़ने पर, वह अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगें एवं किसी प्रकार कोई हीला–हवाला नहीं करेंगे।

7. यह कि विक्रेतागण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है।

8. यह कि विक्रीत भूमि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही कभी कोई अधिग्रहण की नोटिस प्राप्त हुई है तथा उक्त विक्रीत भूमि ग्राम सभा और पट्टे की नहीं है।

9. यह कि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में विक्रेतागण एवं क्रेता के मध्य कोई विक्रय अनुबन्ध पत्र पूर्व में पंजीकृत नहीं हुआ है।

सुमन यादव

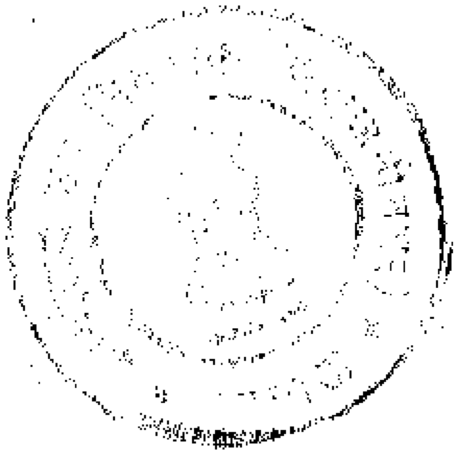

10. यह कि विक्रेतागण एवं क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार ही है जो कि सही है।

भूमि का कब्जा:—

यह कि आज की तिथि से विक्रेतागण ने उक्त भूमि का स्वत्व व कब्जा क्रेता को सौंप दिया है। आज की तिथि से विक्रेतागण या उसके किसी उत्तराधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति का उक्त विक्रीत भूमि से किसी भी प्रकार का स्वत्व व सम्बन्ध नहीं रह गया है तथा क्रेता उक्त भूमि को उसके स्वामी के रूप में उपयोग व उपभोग करने हेतु पूर्ण तथा स्वतंत्र व विधिक रूप से अधिकृत होंगे।

मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तथ्यः—

1. यह कि विक्रीत भूमि कृषि भूमि है और मौके पर आज भी कृषि होती है तथा सरकारी अभिलेखों में कृषि अंकित है।

2. यह कि उक्त भूमि में कोई भी कुआं, पेड़, नलकूल, निर्माण आदि नहीं है।

3. यह कि भूमि उपरोक्त जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची में वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग सुल्तानपुर रोड/अमरशहीदपथ से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

4. यह कि उक्त भूमि के 200 मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधियां संचालित है।

भूमि का मूल्यांकनः—

5 जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा निर्धारित ग्राम सरसवां की आवासीय दर रू0 7,000/—प्रति वर्गमीटर है। इसलिये रकबा 172.13 वर्गमीटर की मालियत रू0 7,000/— प्रतिवर्गमीटर की दर से उक्त भूखण्ड की कुल मालियत रू0 12,04,966/— होती है। चूंकि विक्रय मूल्य बाजारू मालियत से अधिक है इसलिए विक्रय मूल्य पर नियमानुसार शासनादेश दिनांक 30.06.2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क रू0 1,65,000/— जरिये ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र सं0—IN-UP 05292416524751Q दिनांक 16.11.2018 इस विलेख के साथ अदा किया जा रहा है।

6 यह कि उक्त भूमि के विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अन्य विविध खर्चो को क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

विधिक निर्धारणः—

सुमन यादव

विक्रय पत्र

प्रतिफल- 2350000 स्टाम्प शुल्क- 165000 बाजारी मूल्य - 1205000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 20060

श्री एकोर्न डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा
प्रशान्त श्रीवास्तव अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री स्व० बी०एन० प्रसाद
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: ई एस-2/178, सेक्टर-एफ, जानकीपुरम, लखनऊ

श्री, एकोर्न डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा

प्रशान्त श्रीवास्तव अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 16/11/2018 एवं 02:56:39 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत दीक्षित प्रभारी
उप निबंधक :सरोजनीनगर
लखनऊ
16/11/2018

राजेश यादव ,
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

1. यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों "विक्रेतागण" एवं "क्रेता" में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उक्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

2. यह कि उक्त विक्रीत भूमि के विक्रय में किसी मध्यस्थ की कोई भूमिका नहीं रही है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का स्टाम्प वाद नहीं है और न ही किसी न्यायालय में स्टाम्प वाद लम्बित है।

3. यह कि लेखपत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों का पूर्णतयः सत्यता पूर्वक मूल्यांकन कर दिया गया है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि प्रस्तुत लेखपत्र पक्षकारों द्वारा बताये गये तथ्यों व उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर यह विक्रय विलेख तैयार किया गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की होगी।

भूमि का सम्पूर्ण विवरणः–

भूमि खसरा सं0–198 कुल रकबा 0.2380 हे0 मे अपना सम्पूर्ण अंश विक्रीत रकबा 172.13 वर्गमीटर स्थित–सरसवाँ, परगना–लखनऊ, तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ जिसकी सीमाएं निम्नलिखित हैः–

चौहद्दी खसरा सं0–198

पूरब	:–खसरा सं0–426, 427 व 428/चकरोड
पश्चिम	:–खसरा सं0–199
उत्तर	:–खसरा सं0–201 व 202
दक्षिण	:–खसरा सं0–197

विक्रय मूल्य प्राप्त करने का विवरण

1. रू0 11,98,000/– जरियें बैंकर्स चेक सं0–703834 दिनांक 15.11.2018, बैंक आफ इण्डिया, शाखा– आसफ अली रोड, नई दिल्ली।
2. रू0 11,52,000/– जरिये बैंकर्स चेक सं0–703835 दिनांक 15.11.2018, बैंक आफ इण्डिया, शाखा–आसफ अली रोड, नई दिल्ली।

इस प्रकार विक्रय प्रतिफल की सँपूर्ण धनराशि विक्रेतागण उपरोक्त ने क्रेता उपरोक्त से प्राप्त कर ली हैं, अब कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है

सुमन यादव

नियमित

अतः यह विक्रय–विलेख विक्रेतागण ने खूब सोच समझकर बिना किसी जोर जबरदस्ती के प्रसन्नतापूर्वक स्वच्छ चित्त एवं मन की दशा में, पढ़वाकर, पढ़कर व सुनकर अपने परिवारीजनों के समक्ष एवं निम्नलिखित साक्षीगणों के समक्ष क्रेता उपरोक्त के पक्ष में निष्पादित कर दिया तथा क्रेता ने भी उपरोक्त विक्रय विलेख को पढ़कर, अपने हस्ताक्षर कर विक्रय विलेख के निष्पादन को स्वीकार किया ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे और किसी भी प्रकार की विवाद की दशा में वाद योजन हेतु क्षेत्राधिकार लखनऊ सिविल कोर्ट होगा।

लखनऊः–
दिनांकः–16.11.2018
गवाहः–

1. अभय कुमार यादव
पुत्र श्री रामाश्रय यादव
नि0–660/7/पी–003,
यूनिटी सिटी, विकास नगर, लखनऊ।

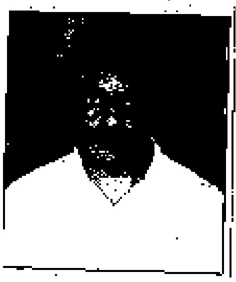

2. कपिल कुमार यादव
पुत्र श्री अम्बर यादव
नि0–सुल्तानपुर रोड, निकट–ओमेक्स रेजीडेन्सी
शाहखेड़ा, अर्जुनगंज, लखनऊ।

विक्रेतागण

(श्री ठाकुर प्रसाद)
Pan No. AGMPY8482E

(श्रीमती सुमन यादव)
Pan No. AHUPY8307M

क्रेता

(श्री प्रशान्त श्रीवास्तव)
एकोर्न डेवलपर्स प्रा0 लि0
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी

टाईपकर्ताः–

(विमल सिंह)
सिविल कोर्ट, लखनऊ।

मसविदाकर्ताः–

(अतुल मिश्रा)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, लखनऊ।

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मलमुन व प्राप्त धनराशि के प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री ठाकुर प्रसाद, पुत्र श्री राम आसरे

निवासी: ग्राम महिपाल खेड़ा, लखनऊ

व्यवसाय: कृषि

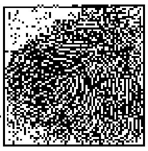

विक्रेता: 2

श्रीमती सुमन यादव, पत्नी श्री ठाकुर प्रसाद यादव

निवासी: ग्राम महिपाल खेड़ा, लखनऊ

व्यवसाय: गृहिणी

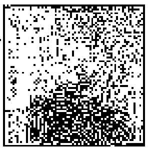

क्रेता: 1

श्री एकोर्न डेवलपर्स प्रा० लि० के द्वारा प्रशान्त श्रीवास्तव, पुत्र श्री स्व० बी०एन० प्रसाद

निवासी: ई एस-2/178, सेक्टर-एफ, जानकीपुरम, लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी

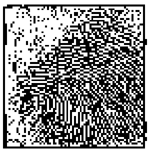

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अभय कुमार यादव, पुत्र श्री रामसिंह यादव

निवासी: 660/7/पी-003, यूनिटी सिटी, विकास नगर, लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी

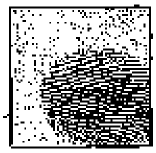

पहचानकर्ता : 2

श्री कपिल कुमार यादव, पुत्र श्री अम्बर यादव

निवासी: सुल्तानपुर रोड, निकट ओमेक्स रेजीडेंसी, शाह खेड़ा, अर्जुनगंज, लखनऊ

व्यवसाय: कृषि

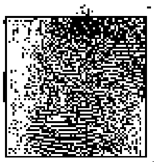

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

विनीत दीक्षित प्रभारी
उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ

राजेश यादव
कनिष्ठ सहायक (निबंधन)

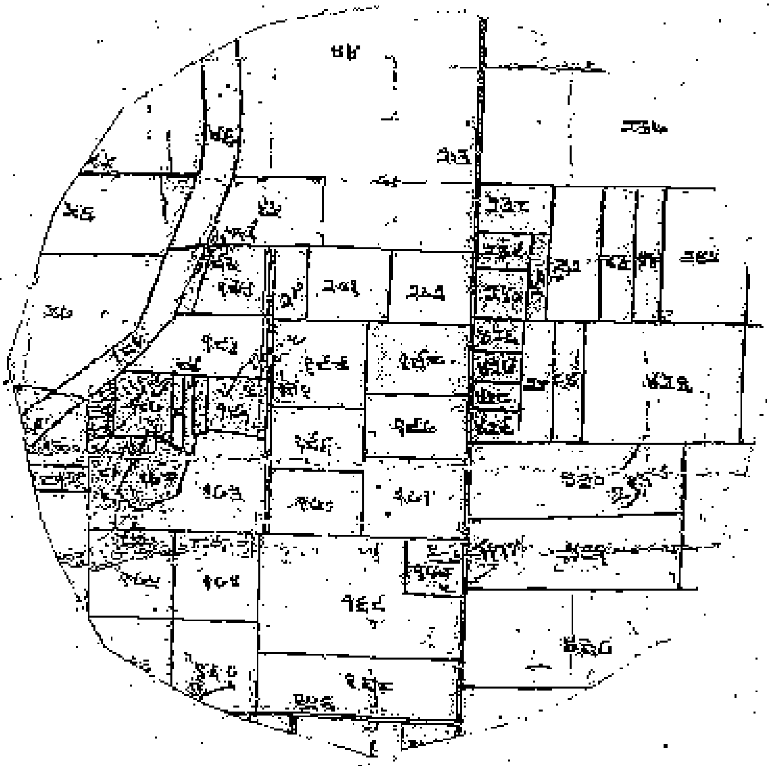

सुमन यादव

Director/Authorised Signatory

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 786 के पृष्ठ 191 से 208 तक क्रमांक 11344 पर दिनाँक 16/11/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत दीक्षित प्रभारी

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

16/11/2018